बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01/बजट–822/2026– 576 /पटना, दिनांक 27 अक्टुबर, 2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाये वेतनादि, भविष्य निधि के भुगतान संबंधित Exit Settlement Plan, Revised Exit Settlement Plan, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश एवं Civil Appeal Nos. 3937-3938/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2332 दिनांक–29.12.2016 के द्वारा पुनरीक्षित Exit Settlement Plan एंव Contempt Petition Nos. 654-656 of 2015 in Civil Appeal Nos. 4201 of 2011 & Civil Appeal Nos. 3937-3938/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1494 दिनांक–26.09.2018 के अन्तर्गत बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना के नियंत्रणाधीन 15 बंद इकाइयों के सेवा निवृत्त/सेवामुक्त, मृत कर्मियों एवं अधिवक्ता के बकाये वेतनादि, सेवान्त लाभ, भविष्य निधि, निगम इकाई के अंकेक्षण एवं अन्य आवश्यक खर्च के भुगतान हेतु **13,35,25,000 (तेरह करोड़ पैतीस लाख पच्चीस हजार)** रूपये मात्र की निकासी एंव व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाइयों के कर्मियों के बकाये वेतनादि, भविष्य निधि के भुगतान संबंधित Exit Settlement Plan, Revised Exit Settlement Plan, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश एवं Civil Appeal Nos. 3937-3938/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2332 दिनांक–29.12.2016 के द्वारा पुनरीक्षित Exit Settlement Plan एंव Contempt Petition Nos. 654-656 of 2015 in Civil Appeal Nos. 4201 of 2011 & Civil Appeal Nos. 3937-3938/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–1494 दिनांक–26.09.2018 के अन्तर्गत बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना के नियंत्रणाधीन 15 बंद इकाइयों के सेवा निवृत्त/सेवामुक्त, मृत कर्मियों एवं अधिवक्ता के बकाये वेतनादि, सेवान्त लाभ, भविष्य निधि, निगम इकाई के अंकेक्षण एवं अन्य आवश्यक खर्च के भुगतान हेतु 13,35,25,000 (तेरह करोड़ पैतीस लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एंव व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपपुर के पत्रांक–402 दिनांक–11.04.2026 के द्वारा मोतीपुर इकाई के सेवा निवृत/सेवामुक्त कर्मियों के बकाये भविष्य निधि की राशि Motipur Sugar Factory Employee's Provident Fund Trust के माध्यम से भुगतान करने हेतु मो0–12,90,25,000 (बारह करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार) रु0 की एंव प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम, पटना के पत्रांक–128 दिनांक–15.06.2026 के द्वारा 15 इकाइयों के सेवा निवृत्त/सेवामुक्त, मृत कर्मियों एवं अधिवक्ता के बकाये वेतनादि, सेवान्त लाभ, भविष्य निधि, निगम इकाई के अंकेक्षण एवं अन्य आवश्यक खर्च के भुगतान हेतु मो0 45,00,000 (पैंतालीस लाख) रु0 का अधियाचना प्राप्त है।

3. स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग–लघु शीर्ष–201–चीनी–मांग संख्या–45–उप शीर्ष–0001–चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट 1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय–विषय शीर्ष–3104 सहायक अनुदान–वेतन–विपत्र कोड–45-2852082010001 अंतर्गत प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंध मो0 13,35,25,000 (तेरह करोड़ पैतीस लाख पच्चीस हजार) रू० से विकलनीय होगी। राशि की निकासी निम्न प्रकार से की जायेगीः–

क्रमांक	संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी का नाम/पदनाम	संबंधित कोषागार	स्वीकृत राशि (रू०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर	12,90,25,000.00	मोतीपुर इकाई के कर्मियों का भविष्य निधि का भुगतान
2.	विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी व्ययन पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना	45,00,000.00	15 इकाईयों के कर्मियों का वेतनादि, सेवान्त लाभ, भविष्य निधि एवं आवश्यक खर्च का भुगतान
			13,35,25,000.00	

4. बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई–मोतीपुर से संबंधित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर होगें तथा मुजफ्फरपुर कोषागार से राशि की निकासी कर अलग खाते में रखा जायेगा तथा उससे देयताओं का भुगतान किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एंव मोतीपुर इकाई के महाप्रबंधक के पर्यवेक्षण में संबंधित कर्मियों का भुगतान करवाया जायेगा। कर्मियों के भविष्य निधि राशि की गणना एंव जाँचोपरान्त संबंधित कर्मियों को नियमानुसार देय राशि का भुगतान किया जायेगा। मोतीपुर इकाई के महाप्रबंधक से प्राप्त अधियाचना के आधार पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता द्वारा संबंधित कर्मियों के बैंक खाते में सीधे अन्तरण द्वारा भुगतान किया जायेगा।

5. बिहार राज्य चीनी निगम (मु०) के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना (Bihar State Sugar Corporation Ltd., Patna, Bank Name-Canara Bank, Boring Road, Patna, Account No.- 120014933265, IFSC Code.- CNRB0001967) को भुगतान किया जायेगा।

6. राज्यादेश प्रारुप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. आवंटित राशि का व्यय होने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. स्वीकृति के प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–822/2026–576 (वी0)/cc /पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–822/2026– 576 (वी0)/cc /पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उधोग विभाग/महाप्रबंधक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०, इकाई– मोतीपुर को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–822/2026– 576 (वी0)/cc /पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/बजट–822/2026– 576 (वी0)/cc /पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– आई. टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।